IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए बनाएं गए संवैधानिक तथा कानूनी पावधानो का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

राहुल कुमार यादव
पी0 एच0 डी0 (शोध छात्र)
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावनाः—

स्त्री और पुरूष प्रकृति के अभिन्न अंग है तथा इनमे से किसी एक के अभाव मे न तो सृष्टि की रचना की जा सकती है और न ही मानव के विकास की कल्पना की जा सकती है। ऋग्वैदिक काल को छोड़ कर बाकी किसी काल मे नारी की स्थिति अच्छी नही रही। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस मे लिखा है— ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। य सकल ताडना के अधिकारी।।

उपरोक्त पक्ति से पता चलता है कि तुतसीदास जी ने नारी को पशु के समान माना ह तथा कहा हैं कि उनके साथ शूद्र और ढ़ाल जैसे व्यवहार करना चाहिएं।

साधारण रूप से अनुसूचित जाति या दलित जाति का तात्पर्य अस्पश्यता से है। आर्थात ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार जिनका स्पर्श करना वर्जित है या जिनके स्पर्श मात्र से दूसरों की पवित्रता नष्ट हो जाए तथा इनके लिए अछूत शब्द का भी प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ है जो छूने योग्य न हो, (रावत, ज्ञानेन्द्र और डॉ0 मंजू, सुमन, 2004)।

भारत मे दलित महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ये पुरे संसार मे हर जगह समुह से पृथक या हाशिएं पर रखी गयी है तथा ये पुरे संसार की आबादी का 2 प्रतिशत हिस्सा है। (डॉ0 कुमारी आर0 सान्था, 2016)

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार— भारत मे कुल दलित महिला की आबादी 5,18,71,211 तथा प्रतिशत मे कुल आबादी का 8.8 प्रतिशत है। तथा ग्रामीण आबादी 4,66,92,821 तथा प्रतिशत में 11.5 तथा शहरी आबादी 51,78,390 है जो कि प्रतिशत मं 2.9 प्रतिशत है।(भारतीय जनगणना, 2011)

दलित महिलाएं तीन रूपो से हिंसा की शिकार होती है, प्रथम गरीबी के कारण द्वितोय महिला होने के कारण तृतिय दलित जाति से संबंधित होने के कारण। प्रथागत निषेधो का दलित महिलाओं और पुरूषो को समान रूप से पालन करना पड़ता है। दलित महिलाओं पर न केवल उच्च/प्रमुख जाति के पुरूष और महिलाए हिंसा करती है अपितु दलित समुदाय के पुरूषो द्वारा भी उन पर अत्याचार किया जाता है, (डॉ0, कुमारी, आर0, सान्था, 2016)।

भारत के श्रम बाजारो मे जाति और लिंग के प्रतिच्छेदन के आधार पर समान समानताएं देखी जा सकती है। पवित्रता और प्रदूषण की पारंपरिक धारणा के कारण दलित महिलाओं के श्रम बाजार के अनुभव उच्च जातियों के महिलाओं से भिन्न है। दलित महिलाओं को शायद ही कभी उच्च जाति के घरो मे खाना पकाने के लिए नियोजित किया जाता है। उन्हे घरो और सड़क की सफाई, कपड़े धोने और कभी–कभी बीमारों की देखरेख का काम करने के लिए काम पर रखा जाता है तथा अन्य जातियो के सम्पर्क मे आने पर उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। अस्पृश्यता की यह धारणा उन्हे रोजगार मे शारीरिक अलगाव और प्रतिबंध की ओर ले जाती हैं, (साधना. निधि, सोभरवाल, सोनालकर.वंदना–जुलाई 2015 पेज न. 6)।

कूटशब्दः– दलित, महिला, हिंसा, अनुच्छेद

दलित महिलाओं के प्रति हिंसाः–

राष्ट्रोय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2013 के अनुसार– भारत मे प्रतिदिन चार दलित महिलाआं का बलात्कार किया जाता है तथा राष्ट्रोय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2018 के अनुसार महिलाओं पर कुल 3,78,277 हिंसा हुई जिनमे केवल 3,59,849 केस दर्ज किए गएं। राज्यो में उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति हिंसा मे शोर्ष स्थान पर है जहॉ 59,445 केस दर्ज किए गए तथा इसके पश्चात् क्रमशः महाराष्ट और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।

4 भारतीय राज्यों में 500 दलित महिलाओं के ऊपर हुए हिंसा के 3 साल के अध्ययन से पता चलता हैं कि अधिकांश दलित महिलाएं एक या एक से अधिक प्रकार की हिंसा की शिकार हैं, आकड़ बताते हैं कि 62.4% मौखिक हिंसा, 54.8% शारीरिक हमला, 46.8% यौन उत्पीड़न, 43% ने घरेलू हिंसा और 23.2% ने बलात्कार का सामना किया हैं।(माथुर,अंजली, रितु,सुरेखा और अंशु,2016,पेज न0–04)

उद्देश्यः–

1. महिलाओं और विशेषकर दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का पता लगाना।
2. महिलाआं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिए बनाएं गए संवैधनिक तथा कानूनी प्रावधानों का मूल्यांकन करना ।

शोध विधिः– प्रस्तुत शोध मे वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है तथा तथ्य संग्रह के लिए द्वितोयक स्त्रोत का प्रयोग किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 15(4)—नागरिको के किसी सामाजिक व शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधन करना।

अनुच्छेद 16(4)—नागरिको के किसी ऐसे पिछड़े वर्ग को सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करना, जिन्हें राज्य ऐसा वर्ग मानता हैं, जिसे राज्य के सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हैं।

अनुच्छेद 17—अस्पश्यता का अन्त कर उसका किसी भी रुप मे आचरण निषिद्ध कर दिया गया हैं।

अनुच्छेद 19—अस्पृश्यो की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया गया तथा किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आजादी प्रदान की गयी।

अनुच्छेद 25—हिंदूओ के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया गया।

अनुच्छेद 29(2)—राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आशिंक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।

अनुच्छेद 46—राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रुप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संवर्द्धन करना चाहिए तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए ।

अनुच्छेद 330—लोकसभा मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण ।

अनुच्छेद 332—राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

अनुच्छेद 334—पंचायत व स्थानिय निकायों में अनुूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण तथा महिलाओं के लिएं 33 प्रतिशत सीटो का आरक्षण।

अनुच्छेद 338—अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने की बात की गयी हैं जिसका कर्तव्य है कि वह संविधान के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन रक्षा उपायों के कार्यकरण के संबंध मं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दें।

अनुच्छेद 339(1)—इसमें यह प्रावधान किया गया हैं कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष पश्चात् राष्ट्रपति महोदय एक आयोग की नियुक्ति करेंगे, जो उन्हे सुझाव देगा। इस प्रकार प्रथम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अप्रैल, 1960 में यू. एन. ढेबर के नेतृत्व में किया गया, जिसे ढेबर आयोग के नाम से भी जाना जाता हैं। दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2003 मे श्री दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में किया गया। भारत में अनुसूचित जाति या अनुसूचितजन जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन मार्च, 1992 को किया गया।

अनुच्छेद 341—राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है।

अनुच्छेद 146 एवं 338— के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक्—पृथक् विभागों की स्थापना।

अनुसूची 5—इसमें अनुसूचित जाति का वर्णन ह।

कानूनी प्रावधानः—

सती प्रथा निषेध अधिनियम,1829—इस अधिनियम के बनने के पूर्व भारत मे सती प्रथा का प्रचलन था। हिंदूओ म पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् विधवा स्त्रियों को (यह प्रलोभन देके की पति के साथ चिता पे मरने से स्वर्ग मिलेगा) पति के साथ चिता में जल जाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रथा को समाप्त करने मे राजाराम मोहन राय जैसे समाज सुधारको के प्रयास से तत्कालिक ब्रिटिस गर्वनर जर्नल लार्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया जिससे इस कुप्रथा पर रोक लगी।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1856— इस अधिनियम के बनने से पूर्व विधवाओ को पुनर्विवाह की स्वीकृति नही थी और न उन्हे मृत पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार था ईश्वरचन्द्र विघासागर के आय समाज के प्रयासो से तत्कालिक वायसराय लार्ड केनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया जिसके तहत हिंदू विधवावो को पुनर्विवाह करने की छूट प्रदान की गयी।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम,1929—हर विलास शारदा के प्रयासो से सन् 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, बाल विवाह रोकने के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गयी तथा इस आयु से निचे विवाह कराने पर अपराध की श्रेणीं मे रखा गया। इस अधिनियम के पास होने के बावजूद भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन जारी रहा तथा बाल विवाह को रोकने मे अधिक कारगर नहीं रहा। इस अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए सन् 1978 मे इसे संशोधित किया गया। यह अधिनियम अब बाल विवाह निरोधक (संशोधित) अधिनियम 1978 के नाम से प्रचलित है। इस अधिनियम में विवाह की न्यूनतम आयू मे वृद्धी की गयी तथा लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयू 21 वर्ष तथा लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गयी।

हिंदू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम,1937—इस अधिनियम मे हिंदू स्त्री के विधवा होने पर उसके मृत पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया।

अलग रहने और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम,1946—इस अधिनियम मे कुछ परिस्थितियों में पति से पृथक रहने पर भरण—पोषण का अधिकार दिया गया।

विशेष विवाह अधिनियम,1954—इस अधिनियम द्वारा भिन्न—भिन्न धर्मों और जातियो के लोगों को परस्पर विवाह की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा विवाह के एक विवाह के स्वरुप को मान्यता प्रदान की गयी।

हिंदू विवाह अधिनियम–1955 इस अधिनियम में हिन्दू विवाह में प्रचलित सभी विधियों को मान्यता दी गयी तथा हिंदू धर्म मे व्याप्त सभी जातियों के पुरुषो और स्त्रियों को विवाह और तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नही होता है।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम–1955 (जिसे 1976 मे संशोधित करके नागरिक अधिकार अधिनियम–1976 तथा पुनः संशोधित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 नाम दिया गया।) का उद्देश्य दलितो के प्रति भेदभाव और घृणा से उपजे अपराधों और अत्याचारो को रोकना है, (साधना.निधि, सोभरवाल, सोनालकर. वंदना–जुलाई 2015 पेज न.4)।

स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम,1956–वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानहैं–

1. "कोई भी स्त्री जो धन या वस्तु के बदले यौन–सम्बन्ध के लिए अपना शरीर अर्पित करती है, 'वेश्या' है तथा अपने शरीर का इस प्रकार यौन–सम्बन्ध के लिए अर्पण करना 'वेश्यावृत्ति' है"
2. वेश्यालयो में रहने वाला व्यक्ति (सन्तान को छोड़ कर) यदि वह 18 वर्ष से अधिक का हैं और वेश्या की आय पर आश्रित रहता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास अथवा 1000 रुपए का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।
3. वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति को 1 से 15 वर्ष तक का कारावास तथा 2 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं, (गुप्ता, एम0, एल0 एवं शर्मा, डी0, डी0, 2019)।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005:– इस अधिनियम मे 5 अध्याय और 37 धाराएं है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना ह, जो पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा की शिकार है। इस कानून की धारा–3 में घरेलू हिंसा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है–प्रत्यस्थी का ऐसा कार्य या लोप अथवा आचरण जो व्यक्ति महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवन शरीर–मन को क्षति ग्रस्त करता है। इस प्रकार अधिनियम में पाँच प्रकार के दुर्व्यवहारों का उल्लेख किया गया है– शारीरिक दुर्व्यहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, तथा आर्थिक दुर्व्यवहार।

इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम की धारा–18 से 23 तक विभिन्न आदेश जैसे–संरक्षण आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक आदेश, सन्तानों की अभिरक्षा का आदेश, प्रतिकार आदेश तथा एकपक्षीय आदेश जारी कर सकते है। संरक्षण आदेश या अंतरिम आदेशों के उल्लंघन पर एक वर्ष तक के कारावास या 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। यह अपराध संज्ञेय एवं गैर–जमानतीय बनाया गया है,(शर्मा,जी0,एल0 –2015)।

विशाख दिशा–निर्देश–विशाखा निर्देश की पृष्ठभूमि यह थी कि राजस्थान की समाज सेविका भवरी देवी ने 1994 मे एक बालविवाह का विराध किया था। जिसके कारण 1997 मे भावरी देवी का सामूहिक बलात्कार किया गया । जिसे बाद विशाखा नामक सवयं सेवी संस्था तथा अन्य लागों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया और इसी परिपेक्ष्य में विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार वाद (1997) में काम काजी

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ दिशा–निर्देश जारी किए गए जिसे विशाखा निर्देश कहते है। ये निर्देश निम्नलिखित है–

- केन्द्र और राज्य दानो मिलकर संयुक्त रुप से महिलाओं की सरक्षा के लिए प्रयास करे।
- कार्य स्थल पर महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है।
- लोगो मे जागरुकता फैलाने के लिए कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर उनका प्रकाशन और वितरण किया जाना चाहिए।
- यौन उत्पीड़न की जाँच के लिए शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है तथा इस समिति का अध्यक्ष किसी महिला तथा को साथ ही एस समिति में कम से कम आधी आबादी महिलाओं की होनी चाहिए।

अक्टूबर 2012 में विशाखा निर्देश को और विस्तृत करते हुए बार काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया को भी इसमं शामिल किया गया। लेकिन इस कानून मे कृषि क्षेत्र मे काम करने वाली और सेना मे काम करने वाली महिलाओं को शामिल नही किया गया।

कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013–इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी कार्य स्थलों पर महिलाओ की यौन उत्पीड़न एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। इस अधिनियम के प्रमुख पावधान निम्नलिखित है–

इस कानून के तहत सार्वजनिक व निजी क्षेत्रो मे हर तरह के कार्य करने वाली तथा हर उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ अश्लील बातों, महिलाओं की रजामंदी के बगैर उनसे निकटता बढ़ाने का प्रयास तथा उनके साथ अश्लील व्यवहार को यौन उत्पीड़न के दायरे मे रखा गया है।

यौन उत्पीड़न से ग्रसित महिला की अगर मौत हो जाती है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तथा ऐसे मामले मे न्यूनतम 20 वर्ष की सजा निर्धारित की गयी है।(शर्मा,जी0,एल0–2015, पेज न0 436–437)।

भारतीय दण्ड संहिता एवं यौन उत्पीड़न

भारतीय दण्डसंहिता की धारा, 375–इसमें बलात्कार को परिभाषित किया गया है

भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 376–इसमें बलात्कार के लिए 7 वर्ष, 10 वर्ष, अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

भारतीय दण्डसंहिता की धारा, 509– के तहत किसी शारीरिक क्रियाकलाप, या अश्लील हरकत से स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने पर भी एक साल की सजा या फिर जुर्माना का प्रावधान है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 314–इसके तहत किसी भी स्त्री से छेड़छाड़ करने पे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है, (भारतीय दण्ड संहिता, 1860)।

निष्कर्ष:–यद्यपि दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिए तथा उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान किए गए है तथा केन्द्र व राज्य स्तर पर भी महिलाओं के प्रति

हिंसा को रोकने, आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी नीतियों व योजनाओं की शुरूआत की गयी है। इनसब के बावजूद भी आज भी दलित महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ती जा रही तथा उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़ो के आधार पे ज्ञात होता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा तथा विशेषकर दलित महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है, जिसके प्रमुख कारण–अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक, सांस्कृतिक, व राजनैतिक कारक उत्तरदायी है। इसके साथ ही साथ कानूनो का सही से लागू न करना, तथा महिलाओ को इन संवैधानिक प्रावधानों, नीतियो और योजनाओं की जानकारी का अभाव आदि प्रमुख कारणो हैं।

सन्दर्भ सूचीः–

1. भारतोय दण्ड संहिता, 1860 की अधिनियम सं0 45
2. शर्मा, जी0 एल0 (2015), सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. अहुजा, राम (2012), सामाजिक समस्याऐं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
4. गुप्ता एम0 एल0 एवं शर्मा डी0 डी0 (2019) समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
5. रावत,ज्ञानेन्द्र और सुमन, डॉ0, मंजु (2004),दलित महिलाएं, सम्यक प्रकाशन, नइं दिल्ली।
6. सांथा,डॉ0,आर0,कुमारी,(2016,वॉल्यूम–2,6),दलित वोमेन इन इण्डिया : अ केस स्टडी ऑफ देअर वॉयलेन्स एण्ड एक्जिस्टेन्स,
7. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2013 और 2018
8. भारतीय जनगणना, 2011
9. Mathur,Anjali, Surekha,Ritu And Anshu, Jan,2016, Spousal Violence And Dalit Women: Theoretical Underpinnings And Retrospection, Page No-4